कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14391/1476 दिनांक– 31.12.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, मधुबनी के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 341/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर परिषद मधुबनी
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. 341/13–14
(अवधि– 2011–12 तथा 12–13

1.प्रस्तावना

नगर परिषद, मधुबनी के वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 12–13 के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.05.13 से दिनांक 08.06.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
1	श्री विजय कुमार चौधरी	01.04.11 से 09.06.12
2	श्री खालिद अनवर	09.06.12 से 31.03.13
	उपाध्यक्ष	
1	श्री समीउर रहमान	01.04.11 से 09.06.12
	श्री परशुराम प्रसाद	09.06.12 से 31.03.13
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	श्री मदन कुमार	01.04.11 से 17.12.11
2	श्री मुमुक्षु कुमार चौधरी	17.12.11 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये तथा नमूना जाँच किए गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I में तथा वैसे अभिलेख एवं पंजी जो या तो नगर परिषद द्वारा संधारित नहीं किये गये थे या लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये की सूची लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं का निष्पादन नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों का अनुपालन नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। अतएव कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजा जाए।

175

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली –1928 (नियम 20,64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया गया हो के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी। किन्तु उक्त जॉच नगर परिषद अधिकारी द्वारा नहीं की गई। अतः सक्षम पदाधिकारी से अनुरोध है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जाय।

6. अंकेक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

कम सं0	**कंडिका सं0**	**विवरण**	**राशि (लाख में)**
1	8	चतुर्थ मद की राशि का विचलन	33.55
2	9	तेरहवीं वित आयोग के मार्गदर्शिका के विरूद्व व्यय	161.33
3	10	भेपर लाइट के कय और मरम्मती में अनियमितता	30.31
4	11	विलंब पर जुर्माना की कटौती नहीं	15.88
5	12	स्वयं सेवी संस्था को अनियमित भुगतान	6.56
6	13	बकाया दुकान किराया	8.70
7	14	निविदा प्रणाली में अनियमितताएँ	157.90
8	15	मोबाईल टावर पर बकाया राशि	29..24
9	16	योजना में अधिक भुगतान	1.05
10	17	17 चापाकल उखाड़ गाड़ का संदेहास्पद व अनियमित कियान्वयन	2.50

7. नगर परिषद् द्वारा संधारित विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार है –

I]. P.L. रोकड़बही :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	1131181=00	3085108=00
2.	आय		
	1. स्वयं स्त्रोत	18909951=00	9173042=00
	2. 12वीं वित्त	--	--
	3. तेरहवीं वित्त	3100000=00	--
	4. कबीर अन्त्येष्ठि	461500=00	--
	5. अन्य	37000=00	12375905=00
	वर्ष की प्राप्ति	22508451=00	21548947=00
3.	कुल प्राप्ति	2369632=00	24634055=00
4.	व्यय		
	i) वेतन भत्ता व स्थापना	17211224=00	23321663=00
	ii) योजना	243300=00	--
	iii) अंतरण	3100000=00	--
	कुल व्यय	20554524=00	23321663=00
	अंत ेष	3085108=00	1312392=00

II]. तेरहवीं वित्त आयोग :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	978364=00	2594=00
2.	आय		
	1. अनुदान	5664986=00	8965000=00
	2. ब्याज	105756=00	28205=00
	3. अन्य	387664=00	25000=00
3.	वर्ष की प्राप्ति	6158406=00	9018205=00
4.	कुल प्राप्ति	7136770=00	9020799=00
5.	व्यय	7134176=00	8999418=00
	अंतशेष	2594=00	21381=00

III]. राज्य चतुर्थ वित्त आयोग :

क्र0	विवरण	2012–13
1.	आरंभिक शेष	शून्य
2.	आय	
	1. अनुदान	15365247=00
	2. ब्याज	38745=00
	3. अन्य	--
3.	वर्ष की प्राप्ति	15403992=00
4.	कुल प्राप्ति	15403992=00
5.	व्यय	8584469=00
6.	अंतशेष	6819523=00

173

IV]. एम.एल.ए. / एम.एल.सी. :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	शून्य	2500000=00
2.	आय		
	1. अनुदान	2500000=00	--
	2. ब्याज		--
	3. अन्य		--
3.	वर्ष की प्राप्ति	2500000=00	..
4.	कुल प्राप्ति	2500000=00	2500000=00
5.	व्यय	--	2131571=00
6.	अंतशेष	2500000=00	368429=00

V]. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	..	
	आय		
	i) अनुदान		152500=00
	ii) ब्याज	अनुपलब्ध	--
	iii) अन्य	..	1645=00
2.	(i+ii+iii)	..	154145=00
3.	कुल प्राप्ति	..	154145=00
4.	व्यय	..	121000=00
6.	अन्तशेष	..	33145=00

लेखा आपत्ति – वित्तीय वर्ष 2011–12 से संबंधित रोकड़बही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

VI]. नई स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :

क्र0	विवरण	2012–13
1.	आरंभिक शेष	शून्य
	i) अनुदान	7500000=00
	ii) ब्याज	--
	iii) अन्य	--
2.	वर्ष की प्राप्ति	7500000=00
3.	कुल प्राप्ति	7500000=00
4.	व्यय	279500=00
6.	अन्तशेष	7220500=00

VII]. कबीर अन्त्येष्टि :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष		1023000=00
	i) अनुदान	1083000=00	1921500=00
	ii) ब्याज	--	
	iii) अन्य	--	
2.	वर्ष की प्राप्ति	1083000=00	1921500=00
3.	कुल प्राप्ति	1083000=00	2944500=00
4.	व्यय	60000=00	261000=00
6.	अन्तशेष	1023000=00	2683500=00

VIII]. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	7105294=00	2047715=00
	i) अनुदान	4606554=00	2732087=00
	ii) ब्याज	150363=00	14857=00
	iii) अन्य	17250=00	--
2.	वर्ष की प्राप्ति	4774167=00	2746944=00
3.	कुल प्राप्ति	11879461=00	4794659=00
4.	व्यय – योजना	9831705=00	3887195=00
	व्यय – गैर योजना	41=00	-
5.	कुल व्यय	9831746=00	3887195=00
6.	अन्तशेष	2047715=00	907464=00

IX]. गैर योजना रोकड़बही :

क्र0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	(-) 124435=00	2082047=00
2.	आय :		
	i) ए.एल.ए.	850000=00	--
	ii) बी.पी.एल.	--	--
	iii) ब्याज	34444=00	29899=00
	iv) अन्य	3483792=00	189000=00
	v) स्थानान्तरण	2047309=00	--
	वर्ष की प्राप्ति	6415545=00	218899=00
3.	कुल प्राप्ति	6291110=00	2300946=00
4.	i) व्यय	4209063=00	1205000=00
	ii) स्थानान्तरण		
5.	कुल व्यय	4209063=00	1205000=00
6.	अन्तशेष	2082047=00	1095946=00

71

रोकड़बही के अनुसार कुल अंतशेष– 20462280/–

1) किसी भी रोकड़बही में त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आय–व्यय का विवरण तैयार नहीं किया गया था।

2) कई रोकड़बहियों में प्राप्ति के शीर्ष स्पष्ट नहीं थे।

3) नगर परिषद् द्वारा मुख्य/सामान्य रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था।

4) गैर योजना रोकड़बही में प्राप्ति एवं व्यय का शीर्ष भी स्पष्ट नहीं था तथा प्रारंभिक व अन्तशेष की गणना नहीं की गई थी।

5) बैंक खातों से संबंधित विवरणी के अनुसार 31.03.2013 को खातों का अन्तशेष (विकास मित्र एवं शिक्षक वेतन रहित) रू0 23092161 था जबकि सभी रोकड़बहियों के अनुसार अंतशेष रू0 20462280 था। इस प्रकार रू0 2629881 का अन्तर था। अन्तर का समाधान अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। (बैंक विवरणी के अनुसार अंतशेष की विवरणी परिशिष्ट– IIA पर)

भाग–1

8. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि रु० 30.13 लाख का बिचलन

नगर परिषद, मधुबनी को वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से विकास तथा उच्च प्राथमिकता मद में कुल रु० 1.54 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। विवरण निचे देखें :-

वर्ष	आरंभिक शेष	पत्र सं /दिनांक	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अंत शेष
2011-12	Nil	60/19-03-2012	7418260	7418260	Nil	7418260
2012-13	7418260	88/4-3-2013	7946987	15365247	8584469	6780778

अनुदान स्वीकृति पत्र के अनुसार विकास तथा उच्च प्राथमिकता मद की राशि का व्यय निम्न प्रकार से करना था :-

क्रम सं	मद	2011-12	2012-13
1	विधुत विपत्र,सेवा प्रदायी खर्च आकस्मिकता तथा ओवरहेड्स (मद-II)	720241	1037732
2	विकास कार्य (मद-III)	1440503	2075506
	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र यथा		
3	हाथ से मैला ढोने की व्यवस्था समाप्त करना	2178838	2157923
4	नगरीय सड़कें	777109	769660
5	जलापूर्त्ति	653654	647377
6	लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	544705	539481
7	पार्किंग स्थल	376944	nil
8	सडको के लिए रौशनी	726266	719308

अनुदान स्वीकृति पत्र के अनुसार एक प्रक्षेत्र में राशि बचत होने पर दुसरे प्रक्षेत्रों पर व्यय किया जा सकता था। रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया की नगर परिषद द्वारा उपरोक्त राशि में से रु० 30.13 लाख का व्यय रोजमर्रा के सफाई कार्यो तथा रु० 341842 का व्यय नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के निर्माण में किया गया था जिसका प्रावधान स्वीकृति पत्र में नहीं था।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि उक्त व्यय बोर्ड के निर्णयानुसार किया गया है। भविष्य में स्वीकृति पत्र के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

इसप्रकार, नगर परिषद बोर्ड द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के विरुद्ध रु० 33.55 लाख की राशि का विचलन कर व्यय किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र की जाय।

९. तेरहवीं मद के मार्गदर्शिका के विरुद्ध 161.33 लाख का व्यय

नगर परिषद मधुबनी को तेरहवीं वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्राप्त अनुदान से किये गए संग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष	पत्रांक/तिथि	प्राप्ति की राशि	कुल	व्यय
2011-12	DD No:-704228/28-04-11	2500000	5664986	7134176
	DD No:-704112/26-04-11	64986		
	13&21/04-08-11	2900000		
	15&24/23-08-11	200000		
2012-13	47/12-03-12 & 58/13/03/12	204[illegible]000	8065000	8999418
	-	1[illegible]00000		
	19229/19-07-12	311[illegible]		
	22236/31-08-12	993[illegible]00		

तेरहवीं से प्राप्त अनुदान का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाना था:-

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत आवंटन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए
2. पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था
3. प्रकाश व्यवस्था और पेय जल के बिजली बिल के भुगतान
4. रैन बसेरा और वृद्धाश्रम के निर्माण

रोकड़ बही के जाँच में पाया गया की नगर पंचायत द्वारा अनुदान की राशि का व्यय निम्नलिखित मदों पर किया गया था जो तेरहवीं वित्त आयोग के मार्गदर्शिका के विरुद्ध था।

क्रम संख्या	मद	2011-12 में व्यय	2012-13 में व्यय	कुल व्यय
1	नाला सफाई	1212620	64800	1277420
2	दैनिक मजदूर	301800	865980	1167780
3	डीजल	200000	215112	415112
4	मशीन मरम्मत	127366	154924	282290
5	एन जी ओ द्वारा सफाई	1675000	2134160	3809160
6	मृत जानवर	68150	125400	193550
7	अन्य विविध सफाई	227013	292837	519850
8	जनगणना	873150	00	873150
9	शव परीक्षण गृह	187490	00	187490
10	मशीन का खरीद	430100	1234225	1664325
11	ट्यूबवेल	529201	1039866	1569067
12	अन्य विविध प्रतिबंधित व्यय	489506	653219	1142725
	कुल -	6321396	6780523	13101919

आपत्ति के आलोक में [illegible] बोर्ड के निर्णयानुसार किया गया है। भविष्य में स्वीकृति पत्र के दिशा निर्देशो का पालन किया जायेगा। जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः **मार्गदर्शिका के विरुद्ध व्यय की गई राशि** की प्रतिपूर्ति की जाय।

10. वेपर लाइट के खरीद तथा मरम्मती में रु० 30.31 लाख का अनियमित व्यय

१३वीं वित्त आयोग की राशि से वर्ष 2011-12 **तथा** 2012-13 **में भेपर लाइट के खरीद तथा मरम्मती पर कुल रु०** 3031675 **का भुगतान मे०स० अपना इलेक्ट्रीक हाउस, चुड़ी बाज़ार, मधुबनी को किया गया था। भुगतान का विवरण नीचे देखे :-**

क्रम सं	चेक सं /दिनांक	भुगतान	संख्या	अभियुक्ति
1	655418/28-05-11	107980	18	**नया**
2	455448/29-08-11	145590	-	**मरम्मती**
3	655466/15-12-11	486040	-	**मरम्मती**
4	655497/06-03-12	73170	-	**मरम्मती**
5	633608/12-04-12	720000	160	**नया**
6	633647/21-07-12	240000		
7	312446/23-08-12	176340	-	**मरम्मती**
8	312460/19-10-12	466630	30	**नया/मरम्मती**
9	312472/10-11-12	394890	08	**नया/मरम्मती**
10	312494/15-01-13	221035	-	**मरम्मती**
	टोटल	3031675	216	

लेखा-परीक्षा टिप्पणी

बिहार वित्त नियमावली के नियम १३१;(i) के अनुसार रु० 1 से 25 लाख के लिए लिमिटेड टेंडर इन्क्वारी का प्रावधान है परन्तु नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में कुल 216 नये भेपर लाइट के अधिष्ठापन तथा मरम्मती पर रु० 30.31 लाख के व्यय के बावजूद उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया था |

(2) संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि दिनांक 16-11-2010 को एक सूचना का प्रारूप तैयार किया गया था जिसे न तो किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था और न ही कार्यालय/अन्य सूचनापट पर लगाये जाने का कोई प्रमाण संचिका में उपलब्ध था | सूचना के आलोक में तीन कोटेशन संचिका में संलग्न थे जिन पर तिथि भी दर्ज नहीं थी तथा सिर्फ अपना इलेक्ट्रीक हाउस का कोटेशन ही प्रिंटेड था जबकि शेष दो कोटेशन सिर्फ औपचारिकता के लिए लगाये गए थे |

(3) दिनांक 8-12-10 को नोटशीट के पृष्ट/2 पर एक विवरणी में अपना इलेक्ट्रीक हाउस,मधुबनी का न्यूनतम दर स्वीकृत किया गया था जो सिर्फ भेपर लाइट के एक बार के मरम्मती से सम्बंधित था जबकि नगर परिषद द्वारा उसी दर पर वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में कुल 216 नए वेपर लाइट लगाये गए थे तथा सात बार उनकी मरम्मती हेतु व्यय किया गया था जो सरकारी नियमों का उल्लंघन था |

(4) 216 नए वेपर लाइट के भंडार पंजी तथा वारंटी कार्ड को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया |

(5) विगत दो वित्तीय वर्षों में नगर परिषद द्वारा अपना इलेक्ट्रीक हाउस,मधुबनी से वेपर लाइट की खरीद/मरम्मती कराये जाने के बावजूद कभी भी उससे कोई एकरारनामा नहीं किया गया और न ही कभी वस्तुओं के विशिष्टियों और गुणवत्ता की जाँच की गई |

(6) अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि रु० 336105 का विपत्र कार्यपालक पदाधिकारी से पारित नहीं था फिर भी अपना इलेक्ट्रीक हाउस, मधुबनी को भुगतान किया जा चुका था |

(67

(7) लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 05-06-13 को वार्ड सं 19 जिसमे नगर परिषद का कार्यालय भी अवस्थित है का श्री सुबोध कुमार वरीय लेखा परीक्षक तथा श्री बुद्धिनाथ राम टैक्स संग्राहक द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसमे कुल सोलह वेपर लाइट में सिर्फ दो सही अवस्था में पाए गए जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैपर लाइट पर किया गया व्यय रु० 30.31 लाख संदिग्ध है।

इसप्रकार, नगर परिषद द्वारा रु० 30.31 लाख का व्यय सरकारी नियमों के अनुपालन के बगैर अनियमित तथा संदिग्ध तरीके से किया गया था।

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि समय समय पर बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन/मुख्य पार्षद के स्वीकृति के आलोक में मरम्मति एवं क्रय करने में सरकारी नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। भविष्य में सभी क्रय सरकारी नियमों के अनुरूप किया जायेगा। जवाब संतोषजनक नहीं है. अतः 30.31 लाख की राशि आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

11.योजना पूर्ण करने में विलम्ब पर जुर्माना (रू015.88लाख) की कटौती नहीं

संवेदक संबंधी नियम व शर्ते के प्रावधान संख्या 2 के अनुसार काम में देरी से पूरा करने पर संवेदक से प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जायेगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार जुर्माने की राशि संवेदकों से देरी से काम करने के दंडस्वरूप नहीं काटी गई जिससे रू0 1587863.56 की राशि अधिक भुगतान हो गई।

क्रम सं0	योजना	योजना की सं0	जुर्माने की राशि
1	BRGF	22	358161.4
2	4th State F.C	07	67044.06
3	13th F.C	1	10000.00
4	MLC/Vivah bhawan	2	1152658.10
			कुल–1587863.56

विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है। इस आपत्ति के आलोक में कहा गया कि जानकारी के अभाव में जुर्माने की राशि कटौती नहीं की गयी तथा भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा। अतः रू0 1587863.56 की राशि वसूली हेतु सुझाई जाती gSA (विस्तृत विवरण परिशिष्ट –III में दी गई।)

12. स्वयंसेवी संस्था को अनियमित भुगतान

एन.जी.ओ. संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 13.4.12 को सचिव सेवक सेवा संस्थान वैशाली एवं कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी के बीच एकरारनामा किया गया कि कुल 15 बार्ड में

सफाई कार्य प्रतिमाह रू0 175000 की दर से 20 अप्रैल 2012 से 20 अप्रैल 2013 तक करना था। परन्तु दिनांक 29.8.12 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में अन्यान्य प्रस्ताव मुख्य पार्षद के अनुमति से कमांक–1 में निर्णय किया गया कि सितम्वर 2012 से स्वयं सेवी संस्थान 15 वार्ड के बदले 20 वार्ड में सफाई कार्य करेगा। स्वयं सेवी संस्था द्वारा 20 वार्ड का सफाई कार्य किया गया जिसके भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:–

कम सं0	अवधि	चेक सं0	दिनांक	अभिश्रव के अनुसार राशि
1	20.4.12 से 19.5.12	633620	24.5.12	175000
2	20.5.12 से 19.6.12	633639	2.7.12	175000
3	20.6.12 से 19.7.12	–	7.8.12	175000
4	20.7.12 से 19.8.12	312459	19.10.12	175000
5	20.8.12 से 19.9.12	312459	19.10.12	175000
6	20.9.12 से 19.10.12	312473	10.11.12	175000
7	20.10.12 से 19.11.12	312473	10.11.12	175000
8	20.11.12 से 20.12.12	312478	15.12.12	330000
9	20.9.12 से 19.10.12	312478	15.12.12	58330
10	20.10.12 से 20.11.12	312478	15.12.12	58330
11	5.9.12 से 20.9.12	–	12.1.13	47500
12	20.10.12 से 20.11.12	–	12.1.13	95000
13	20.11.12 से 20.12.12	–	12.1.13	95000
14	–	–	12.1.13	50000
15	–	742498	25.3.13	330000
कुल –				2289160

लेखापरीक्षा टिप्पणी

संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

1. जब स्वयंसेवी संस्था से रू0 175000 प्रतिमाह के दर से 15 वार्ड का सफाई कराना था तो किस परिस्थिति में एकरारनामा के विरूद्व 5 वार्ड एवं दर बढ़ाए गए। लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
2. एकरारनामा में वर्णित दर के अनुसार 20 अप्रैल 12 से 20 दिसम्बर 12 तक 5 वार्ड को जोड़कर कुल 1633340(मई से अगस्त रू0 175000X4= 700000, सितम्बर से दिसम्बर रू0 233333 X4= 933332) स्वयं सेवी संस्था को भुगतान करना था, परन्तु कुल रू0 2289160 का भुगतान किया गया, इससे 655820 का अधिक भुगतान हो गया।
3. लेखापरीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि 15 वार्डो में एकरारनामा में वर्णित दर का पुनरीक्षण न करके 5 वार्डो के लिए स्वयंसेवी संस्था से नया एकरारनामा नयी दर से क्यों नहीं किया गया।
4. संचिका के जॉच में यह भी देखा गया कि दिनांक 5.10.12 को स्वयंसेवी संस्था के द्वारा एक पत्र दिया गया था, जिसमें मुख्य पार्षद के निर्देशानुसार दर बढ़ाने को कहा गया था। लेखापरीक्षा में यह

65

स्पष्ट नहीं किया गया कि स्वयंसेवी संस्था को दर बढ़ाने का निर्देश मुख्य पार्षद द्वारा किस आधार दिया गया था।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। जवाब पर्याप्त नही है, अतः 655820 की राशि वसूली हेतु सुझाई जाती है।

13. बकाया दुकान किराया की राशि रू0 870393 की वसूली नहीं

नगर परिषद मधुबनी द्वारा दुकान किराया के मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में उपलब्ध रजिस्टर के अनुसार 31.3.13 तक दुकान किराया रू0 8.70 लाख बकाया था। विवरण निम्न थाः–

क्रम सं0	विवरण	2011–12	2012–13
1	वर्ष प्रारंभ में बकाया किराया	2817299	1090280
2	वर्ष की मांग	1169610	1171210
3	कुल मांग	3986909	2261490
4	कुल वसूली	2896629	1391097
5	अवशेष	1090280	870393

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि बकाया दुकान किराया वसूली की कार्रवाई की जायेगी। जबाब संतोषजनक नहीं है। अतः राशि रू0 870393 को वसूली हेतु सुझाई जाती है।

14. निविदा प्रणाली में अनियमितताएँ

नगर परिषद मधुबनी के विभिन्न मदों से प्राप्त आवंटन से ली गई 17 योजनाओं के निविदा प्रणाली की नमूना जॉच की गई। इन योजनाओं के निविदा प्रणाली में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः–

अ– निविदा आमंत्रित करते समय निम्न दस्तावेज नहीं मांगे गये।

1. इस कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र–संयत्र से संबंधित प्रमाण पत्र (पी.डब्लू.डी. की कंडिका 158 अ का उल्लंघन)

2. कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।(पी.डब्लू.डी. की कंडिका 158 अ का उल्लंघन)

3. निविदा आमंत्रण सूचना में यह शर्त नहीं रखी गयी कि निविदा को विना कारण बताए निविदा स्वीकार करने वाले सक्षम पदाधिकारी निविदा को रद्द कर सकते है। (पी.डब्लू.डी. की कंडिका 159 ट का उल्लंघन)

4. निविदा दाखिल करने वाले निविदादाताओं द्वारा इस आशय का शपथ पत्र नहीं दिया गया कि इस कार्य से संबंधित प्रमंडल में उनके नजदीकी संबंधी लेखापाल/कनीय अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं हैं। (संशोधित बिहार ठेकेदारी सूचीकरण नियमावली 1996 का उल्लंघन)

ब– निविदा प्रकाशन तिथि से निविदा डालने में कम से कम 10 दिनों का समय देना है, लेकिन अधिकांश योजनाओं में निविदा आमंत्रित करते समय इस नियम का पालन नहीं किया गया था (पी.डब्लू.डी. की कंडिका 159 ट का उल्लंघन)

स– तकनीकि बिड किस सक्षम अधिकारी के समक्ष खोली गयी संचिका में वर्णित नहीं है।(पी.डब्लू.डी. की कंडिका 159 ट का उल्लंघन)

द– बिड उम्मीदवारों के समक्ष नहीं खोला गया, यह बात इस से स्पष्ट होती है कि 70 योजनाओं में से 47 योजनाओं में तुलनात्मक विवरणी अनुपलब्ध है तथा शेष में तुलनात्मक विवरणी पर सक्षम अधिकारी तथा निविदा दाताओं का हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। (पी.डब्लू.डी. की कंडिका 160 का उल्लंघन)

य– किसी भी योजना के संचिका में अस्वीकृत निविदा नहीं थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वास्तव में एक से अधिक निविदायें आई थी। इस तरह निविदा प्रकिया के पालन में अनियमितताएँ बरती गई थी।

इस आपत्ति के आलोक में बताया गया कि भविष्य में इन नियमों को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रणाली के नियमों का पालन किया जायेगा। जबाब संतोषजनक नहीं है।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट –IV में दी गई।) अतः इस मामले पर यथोचित कार्रवाई करते हुए कृत कारवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

15. संचार (मोबाइल) टावरों पर रू0 29.24 लाख शुल्क बकाया रहना

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण वर्ष रू0 40,000/ प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू0 10,000/ प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर परिषद मधुबनी द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत कुल 27 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर कुल मांग;(पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क) रू0 2924000 बकाया था। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट –V में दी गई।)

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि पंजियन शुल्क वसूली हेतु संबंधित मोबाइल टावर कंपनी को नोटिस किया जा रहा है। अतः राशि 2924000 को वसूली हेतु सुझाई जाती है।

16. योजना में अधिक भुगतान राशि 1.05 लाख

योजना संचिका एवं योजना विवरणी के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि विभिन्न मद के योजनाओं में कुल रू0 104982 का भुगतान प्राक्कलन से अधिक संवेदक को किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	मद	योजना का नाम	संवेदक	प्रा0 राशि	योजना में भुगतान राशि	अधिक व्यय
1	चतुर्थ राज्य वित्त	हनुमान नगर कॉलोनी में मुख्य सड़क से इन्द्रमोहन झा के घर तक पी. सी. कार्य	श्री शंकर कुमार झा	181900	184229	2329
2	चतुर्थ राज्य वित्त	परमेश्वर पूर्व के घर से सच्ची देवी के घर होते हुए विरेन्द्र कुमार के घर तक पी. सी. कार्य	श्री शंकर कुमार झा	435300	530510	95210
3	बी.आर. जी. एफ.	निजाम टेन्ट हाउस से मुख्य सड़क तक नाला निर्माण	तारीक रिज्जवी	82900	90343	7443
					कुल –	104982

अतः प्राक्कलन से अधिक भुगतान की गई राशि 104982 की वसूली संबंधित संवेदक/जिम्मेदार व्यक्ति से किया जाए।

17. चापाकल उखाड़ गाड़ का संदेहास्पद व अनियमित कियान्वयन

योजना सं0 – अनुपलब्ध

योजना का नाम – चापाकल उखाड़ गाड

प्राक्कलित राशि – अनुपलब्ध

मापी की राशि – अनुपलब्ध

निबंधित अभिकर्त्ता– मकबूल अहमद

सामग्री की राशि – 411400

मस्टर रौल की राशि – 57616

भुगतान विवरणी (संचिका के अनुसार)

कम सं0	चेक सं0	तिथि	राशि
1	655487	6.2.12	10000
2	655498	6.3.12	19930
3	633605	12.4.12	25920
4	633621	25.5.12	96546
5	312480	22.12.12	97600
कुल –			249996

लेखापरीक्षा टिप्पणी:–

1. संचिका में प्राक्कलन संलग्न नहीं था।
2. संचिका में कार्यादेश व मापी पुस्तिका संलग्न नहीं थी।

3. संचिका में मापी कराये जाने का कोई जिक्र नहीं था, फिर भी अग्रिम दिया जाता रहा।
4. संचिका में वर्णित टिप्पणी के अनुसार केवल उखाड़ गाड़ करने का आदेश था तो नये चापाकल क्यों गड़ाया गया।
5. संचिका में वर्णित टिप्पणी के अनुसार सभी पाईप 350 फीट पर संदिग्ध रूप से लगाये गये है।
6. कर की कटौती नहीं की गई।
7. मरम्मती के लिए चापाकल का चयन किसकी सर्वे या जॉच प्रतिवेदन के आधार पर किया गया, स्पष्ट नहीं था।
8. पुराने सामानों को स्टॉक में वापस क्यों नहीं लिया गया।
9. संचिका में वर्णित टिप्पणी के अनुसार 23 स्थानों पर चापाकल उखाड़गाड़ का आदेश था, परन्तु 8 स्थानों पर ही चापाकल लगाने का जिक्र था। बाकी स्थानों पर इतनी देरी के बाबजूद कार्य क्यों नहीं पूरा किया गया।

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।जबाब पर्याप्त नहीं है, अतः उपरोक्त त्रुटियों/अनियमितताओं का निराकरण होने तक व्यय की राशि 249996 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. योजना में अनियमितता व अधिक भुगतान

योजना सं0 – 10/10–11

योजना का नाम – माननीय विधान पार्षद के अनुशंसा पर नगर परिषद में बन रहे विवाह भवन के प्रथम तल पर विवाह भवन निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि – 4000000

प्रशासनिक स्वीकृति – उपविकास आयुक्त , 28.11.12

कार्यादेश की तिथि – 28.3.12

मापी की राशि – 1011886, तिथि – 10.1.13

अभिकर्त्ता– जटा शंकर झा, नगर अभियंता

अभिश्रव व मस्टर रौल – अनुपलब्ध/ संलग्न नहीं

भुगतान विवरणी (संचिका के अनुसार)

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	राशि
1	426062	13.4.12	7500
2	426055	14.8.12	400000
3	426068	11.10.12	800000
4	426069	24.1.13	500000
5	426070	8.3.13	300000
		कुल –	2007500

लेखापरीक्षा टिप्पणीः–

1. कार्य को कार्यादेश के तीन महीने के अन्दर पूर्ण कराना था, लेकिन कार्य अभी तक (मई 13) पूर्ण नहीं हो पाया।
2. कार्य समय पर नहीं होने की स्थिति में कार्यादेश के अनुसार 10 प्रतिशत दण्ड का प्रावधान था। (दण्ड .... तकनीकि स्वीकृति का 10 प्रतिशत ..... 400000 जिसकी वसूली नहीं की गई थी।
3. संचिका में संलग्न स्वीकृत्यादेश 24.12.11 (जिला विकास शाखा) के अनुसार अगली किस्त का भुगतान एम. बी., एम.आर. एवं अभिश्रव की अभिप्रमाणित छाया प्रति समर्पित करने के पश्चात राशि विमुक्त करना था, लेकिन संचिका में अभिश्रव व मस्टर रौल की प्रति संलग्न नहीं था। तो फिर किस आधार पर भुगतान किया गया।
4. स्वीकृत्यादेश –3 के अनुसार योजना निर्माण के क्रम में सतत निगरानी बरतने हेतु वरीय पदाधिकारी द्वारा समय समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा, परन्तु संचिका में ऐसे किसी भी निरीक्षण का कोई जिक्र नहीं है।
5. स्वीकृत्यादेश –13 के अनुसार किये गये कार्य की मापी संबंधित कनीय अभियंता प्रत्येक तीन दिन पर लेंगें। लेकिन मापी पुस्त के अनुसार मापी एक बार ही 10.1.13 को की गई। इस तरह निर्देश की अवहेलना की गई।
6. स्वीकृत्योदेश –18 के अनुसार योजना संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पहली तारीख को निश्चित रूप से भेजा जायेगा, ऐसे किसी भी प्रगति प्रतिवेदन भेजे जाने की सूचना संचिका में नहीं थी।
7. मापी की राशि से अधिक भुगतान किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में नहीं बताया गया।

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी तथा अन्य बातों का भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः दण्ड की राशि 400000 वसूली हेतु सुझाई जाती है तथा अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु उचित एवं प्रभावी कदम यथाशीघ्र उठाया जाय।

भाग –2

19. बन्दोबस्ती की राशि रू0 6.75 लाख जमा नहीं

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बंदोबस्ती संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि बंदोबस्ती हेतु आम सूचना किसी भी माध्यम से नहीं निकाला गया था एवं अधिकतर बंदोबस्ती एकल विडर को निम्न दर पर दिया गया था। बंदोबस्ती राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया था एवं बंदोबस्ती राशि का पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। यह लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

(क) बंदोबस्ती पंजी का संधारण नगर परिषद मधुबनी द्वारा नहीं किया गया था जिसके अभाव में पूर्व के मॉग एवं बकाया का सही आकलन नहीं लगाया जा सका। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 12–13 के दौरान किए

गए बंदोबस्ती के संचिका जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए उनके नमुना जॉच में पाया गया कि निम्न बन्दोबस्ती धारियों द्वारा बंदोबस्ती राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार था।

क्र0सं0	बंदोबस्ती का नाम	बंदोबस्तधारी का नाम श्री	बंदोबस्ती की राशि(रू0)	जमा राशि	नहीं जमा
1	नगर सेवा शुल्क 2011–12	मो0 वसीम	1350000	675000	675000

अतः, उपरोक्त कुल नहीं जमा राशि (रू0 675000) को यथाशीघ्र बंदोबस्ती धारी से वसूल कर नगर परिषद खाते में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि राशि को जमा कराने के लिए नोटिस किया जा रहा है। अतः राशि 675000 को वसूली हेतु सुझाई जाती है।

(ख) लेखा परीक्षा में निम्न बंदोबस्ती संचिका जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया

(1) ढाढ बंदोबस्ती वर्ष 2012–13

(2) मध्यसागर भूमि की बंदोबस्ती वर्ष 2012–13

(3) लकड़ी गाड़ी का बंदोबस्ती वर्ष 2012–13

(4) फलदार वृक्ष वर्ष 2012–13

(5) थाना चौक पूरब और पश्चिम वर्ष 2012–13

उपरोक्त संचिका अगले लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाय।

20. कबीर अंत्येष्टि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि 4.56 लाख

पी0 एल0 रोकड़बही और कबीर अंत्येष्टि की रोकड़बही के जॉच के कम में पाया गया कि कबीर अंत्येष्टि मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान रू0 456000 की राशि अग्रिम दी गई थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट –VI में दी गई।)

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु संबंधितों को सूचित किया जा रहा है। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

21. होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(13) के अनुसार नगरपालिका हरेक पॉच वर्ष में होल्डिगों के वार्षिक मूल्य का उर्ध्वगामी (बढते हुए कम में) पुनरीक्षण एवं होल्डिंगों के सड़कों का पुनर्वर्गीकरण करेगी।

परन्तु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार नगर निकाय द्वारा वर्ष 1995–96 में होल्डिंग का निर्धारण/ पुनरीक्षण किया गया था, परन्तु 18 वर्ष बीतने के बावजूद नगर निकाय द्वारा होल्डिंगों का वार्षिक मुल्य का पुनरीक्षण एवं होल्डिंगों के सड़कों का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है।

होल्डिंगों के वार्षिक मूल्यों का पुनरीक्षण एवं होल्डिंगों के सड़कों का पुनर्वर्गीकरण नहीं किये जाने के कारण नगर निकाय को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि हो रही है। जवाब में कहा गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा पुनरीक्षण कार्य एवं पुनरीक्षण दर एवं सड़को का पुर्नवर्गीकरण संबंधी प्रस्ताव को वर्ष 2013–14 से अनुमोदित किया जा चुका है।

22. निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ श्रम सेस की कटौती नहीं किया जाना :–1.42 लाख

प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या बी0सी0डब्ल्यू0सी0 01/2008 द्वारा सभी विभागों को निर्गत सूचनानुसार वर्ष 2007–08 से कार्य विभागों द्वारा ली गई योजनाओं से कुल लागत का 1% श्रम सेस के रूप में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा करना था।

पुनः श्रमायुक्त सह अध्यक्ष बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सभी नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित पत्र सं0 सी0 01/2009, श्र0 सं0 3714, पटना दिनांक 15.09.10 द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी निर्माण कार्य जिसका तात्पर्य भवन, सड़क, नाली, पुल, पुलिया निर्माण आदि एवं इसके अधीन रिहायशी भवन निर्माण जिसकी लागत 10 लाख से अधिक है का कुल संबन्धित लेखा वर्ष में किए गये निर्माण लागत का 1% श्रम सेस काटकर भुगतान किया जाना है। रिहायशी मकानों के नक्शा स्वीकृति के समय ही सेस की राशि वसूल की जानी थी। सेस वसूली नहीं करने की दशा में दण्ड स्वरूप 2% प्रतिमाह दण्ड का प्रावधान था

नगर परिषद मधुबनी के लेखाओं के नमूना जॉच के क्रम में ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा अवधि में निर्माण कार्यो पर किए गये अभिकर्ताओं के भुगतान में 1% सेस की कटौती नही की गयी थी।

निर्माण कार्यों हेतु संवेदकों को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	अनुदान विशेष का नाम	2011–12 एवं 12–13
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2522989
2	तेरहवीं वित्त आयोग	107884
3	बी.आर.जी.एफ.	7348846
4	एम.एल.सी. मद	1011686
5	विवाह भवन मद	4730299
6	कुल	15721704
7	श्रम सेस की राशि/ 1%	157217
8	कटौती की गई राशि	15117
9	अवशेष राशि	142100

इस प्रकार कुल व्यय का 1 प्रतिशत की दर से अवशेष श्रम सेस की राशि 1.42 लाख को संबंधित विभाग में जमा नहीं की गई थी। आपत्ति के आलोक में बताया गया कि भविष्य में सभी योजनाओं पर श्रम सेस की राशि की कटौती की जायेगी। अतः राशि 142100 को वसूली हेतु सुझाई जाती है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट –III में दी गई।)